

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2013 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 03.06.2013

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

श्री साजीद पिता श्री सलीम खां मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा थाना
निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

-गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

उपस्थिति : 1- अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार
2-श्री इनायत अली, अधिवक्ता गैरसायल



निर्णय

दिनांक 24.07.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल इन्द्रा कॉलोनी, थाना निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है। दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने का साहस ही नहीं करता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब किया जाकर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री इनायत अली द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन-समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं जवाब प्रस्तुत कर ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री साजीद पिता सलीम खां मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी, थाना निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़

होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य पैरवी में श्री चमनसिंह राव हाल पुलिस निरीक्षक इंगूरपुर, श्री अजयराज हाल स. उ. नि. थाना विजयपुर, श्री लक्ष्मीलाल कुमावत हाल सेवानिवृत्त ए. एस. आई., श्री राजूराम बलाई हाल एस. आई. कोतवाली भीलवाड़ा एवं श्री भगवानलाल जाट हाल स. उ. नि. थाना बेगूं के बयान कराये।

अधिवक्ता गैरसायल ने गैरसायल की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने का साहस ही नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध कुल 4 प्रकरण दर्ज हुए हैं:-

- 1-प्रकरण संख्या 26/2012 13 आरपीजीओ एक्ट
- 2-प्रकरण संख्या 157/2008 13 आरपीजीओ एक्ट
- 3-इस्तगासा संख्या 20/2012 13 आरपीजीओ एक्ट
- 4-प्रकरण संख्या 224/2007 498ए भा. द. सं.



गैरसायल को उक्त चार में से 2 प्रकरणों में सजा हो चुकी है तथा 02 प्रकरण जैर ट्रायल है। उक्त प्रकरण में उपस्थित गवाहान ने भी अपने बयानों में गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नहीं देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काशित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल ने न तो अपराध कारित किये हैं और न ही वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला निर्णित नहीं हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन आने वाले अपराध करने की दुष्प्रेरणा में न तो लगा हुआ है और न ही ऐसे अपराध कर रहा है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 224/2007 एक पारिवारिक मामला होकर पत्नि द्वारा छोटे से मनमुटाव के कारण दर्ज करवाया गया है जो राजीनामे एवं लोक अदालत की भावना से निर्णित होकर दोषमुक्त घोषित किया गया है। गैरसायल

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री साजीद पिता सलीम खां मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी, थाना निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़

के विरुद्ध दर्ज शेष 3 प्रकरण 13 आरपीजीओ के होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर दो में स्वयं जुर्म स्वीकार किया। वर्ष 2012 के बाद गैरसायल के विरुद्ध किसी भी धारा के अपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। गैरसायल गरीब व्यक्ति होकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का बड़ी मेहनत से शान्तिपूर्वक भरण पोषण कर रहा है। मोहल्ले में कभी कोई शान्ति भंग नहीं की है, जिससे मोहल्ले में विपरीत प्रभाव पड़ता हो। गैरसायल के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। अतः सहानुभूति का रुख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसायल के विरुद्ध वर्ष 2012 तक कुल 04 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें 03 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट के प्रकरण दर्ज हुए हैं एवं 01 प्रकरण धारा 498ए भा. द. सं. का दर्ज हुआ है जिसमें गैरसायल को दोषमुक्त घोषित किया गया है तथा 01 प्रकरण 13 आर. पी. जी. ओ. का जैर ट्रायल है तथा शेष 02 प्रकरणों में गैरसायल को सजा हुई है। गैरसायल के विरुद्ध उक्त चारों प्रकरण वर्ष 2012 तक दर्ज होकर तीन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है तथा लम्बित 01 प्रकरण के संबंध में गैरसायल को सजा होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। वर्ष 2012 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है तथा इसके बाद गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत होना एवं उनके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना भी नहीं पाया गया।

अतः गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार के कृत्य नहीं करने की चेतावनी देते हुए, उसके परिवार की परिस्थितियों को मध्यनजर रख, सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत गैरसायल को गुण्डा घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत इस्तागासा खारीज किया जाता है।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(इन्द्रजीत सिंह)

